

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ बी-1-23-2018-2-पांच (37).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (22) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विदेशी मदिरा भांडागार में भंडार की गई विदेशी मदिरा स्प्रिट पर रुपए 10/- प्रति पेटी तथा बीयर पर रुपए 5/- प्रति पेटी भंडारण प्रभार नियत करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. बी-1-23-2018-2-पांच, (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-23-2018-2-पांच, (37), दिनांक 29 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 29th June 2018

No. F. B-1-23-2018-2-V-(37).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (22) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government, hereby, fix the storage charges of Rs. 10/- per case on foreign liquor spirit and Rs. 5 per case on beer stored in foreign liquor warehouse.

2. This Notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.